78

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

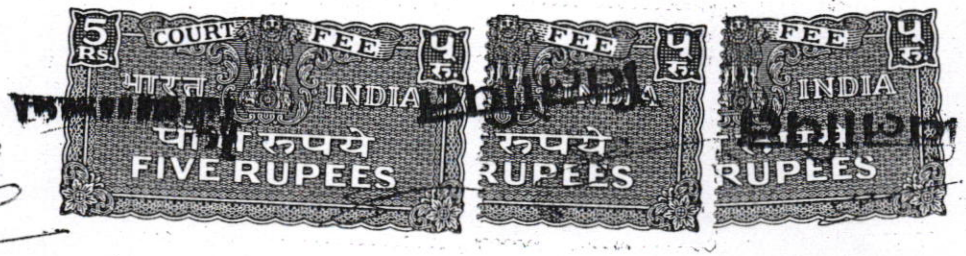

COURT FEE 5 Rs भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

R 769 /III/06

1. रामाधार पिता रामगणेश, निवासी ग्राम–खैर, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0), हाल मुकाम – बालाघाट (म0प्र0)
2. राजाराम पिता रामगणेश, उम्र 58 वर्ष, पेशा–नौकरी, निवासी ग्राम–खैर, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0) .... *निगराकार*

बनाम्

1. श्रीमती सिया दुलारी पत्नी स्व0 हिम्मत बहादुर सिंह
2. लाल बहादुर सिंह तनय स्व0 हिम्मत बहादुर सिंह
3. धीरेन्द्र प्रताप सिंह तनय स्व0 हिम्मत बहादुर सिंह
4. वीरभान सिंह तनय दर्शन सिंह
5. बलवीर सिंह तनय दर्शन सिंह

पॉचों निवासी ग्राम–खैर, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0)

6. भूरा लाल तनय गया प्रसाद, निवासी ग्राम–खैर, तहसील–सिरमौर, जिला–रीवा (म0प्र0), हाल मुकाम C/o अम्बे किराना की दुकान, रेडियोलॉजी बालाघाट, जिला–बालाघाट (म0प्र0) .... *गैरनिगराकार*

श्री मुकेश भार्गव एडवोकेट द्वारा पेश दि. 21/4/06

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 95 / अ / 86–87 आदेश दिनांक 10.04.2006

मुकेश भार्गव
21-4-06 एडवोकेट
ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 769–दो/2006 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28– 11–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। अनावेदक अनुपस्थित । 2/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा वही तर्क दोहराये गये है जो निगरानी मेमों में है । अतः उसे दुबारा दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्र0 95/अ/86–87 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2006 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (आगे जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 4/ उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश के पैरा–4 में यह स्वीकार किया है कि सिकमी काश्तकार होने के प्रश्न पर कोई भी अनुबंध होने का कोई प्रमाण नहीं है फिर भी अनावेदक की अपील निरस्त किया है। जब सिकमी काश्तकार के रूप में आवेदकगण ने कोई दस्तावेज, लगान की रसीदें प्रस्तुत नहीं की है तो कैसे माना जायेगा कि विवादित आराजियों पर संहिता के लागू होने के पूर्व से काबिज दाखिल है। विचारण न्यायालय में साक्षी शिवभगत सिंह	

ने स्वीकार किया है कि विवादित आराजियों के भूमीस्वामी अनावेदकगण है तथा पवाईदार है। इस तरह से यह प्रमाणित है कि विवादित अराजी के भूमिस्वामी अनावेदकगण थे तथा 0.069 है0 पर ही आवेदकगण का नाम कॉलम नं0 12 में खसरा वर्ष 1976–77 से 1980–81 में दर्ज है, लेकिन वर्ष 1981–82 में भूमिस्वामी के रूप में अनावेदकगण का नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय में आवेदकगण का नामांतरण किये जाने के पूर्व इस तथ्य की जांच विधिवत नहीं की गई है कि क्या आवेदकगण विवादित आराजी पर संहिता के लागू होने के पूर्व से काबिज दाखिल थे तथा क्या सिकमी काश्तकार के रूप में विवादित आराजी पर काबिज दाखिल होकर लगान आदि अदा करते थे। जब तक इस बिन्दुओं की विधिवत विवेचना नहीं जाती है तब तक सही निष्कर्ष पर नहीं पहूँचा जा सकता। इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने पूर्ण विवेचना कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों को निरस्त किया है और प्रकरण को तहसीलदार की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि विवादित आराजी पर आवेदकगणों का संहिता के लागू होने के पूर्व से किस आधार पर कब्जा था तथा क्या सिकमी काश्तकार के रूप में उन्हें हक व स्वत्व प्राप्त हुआ । इन तथ्यों की विधिवत जांच व साक्ष्य लेकर गुणदोष पर निराकरण करें ।

5/ ऊपर वर्णित तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में जो निष्कर्ष निकाला है वह विधिसंगत है। क्योंकि

आवेदकगण ने न तो इस न्यायालय में और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में विवादित आराजियों पर कब्जा से संबंधित कोई ठोस प्रमाण ही प्रस्तुत किया है, जिससे की यह साबित हो सके कि उक्त वादग्रस्त आराजियों पर आवेदकगण का कब्जा हो। अतः अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.04.2006 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है। एवं आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के आभाव में निरस्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हो । तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य